दिनांक 06 जून, 2020

नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान, लखनऊ
प्रेस विज्ञप्ति

जिलाधिकारी, लखनऊ की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात दिनांक 09 जून, 2020 से नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान, लखनऊ दर्शको हेतु खोले जाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। अभी केवल ऑनलाइन टिकट प्राप्त दर्शकों को ही प्राणि उद्यान में प्रवेश की अनुमति होगी। दर्शकों हेतु मास्क पहनना अनिवार्य होगा। प्रत्येक दर्शक की प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग की जायेगी, स्वस्थ पाये जाने पर ही प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश द्वार पर फुटवॉश, हैण्डवॉश तथा सेनेटाइजर का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार का खाद्य पदार्थ, गुटखा, पान, तम्बाकू आदि पूर्णतः प्रतिबन्धित है। पकड़े जाने पर कोविड–19 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही तथा जुर्माना किया जायेगा। दर्शकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। भीड़ एकत्र करने वाले स्थान जैसे– फूडकोर्ट, कैन्टीन, सोविनियर शॉप, प्रकृति शिक्षण केन्द्र, मछलीघर एवं रात्रिचर बाड़ा (नॉकटर्नल हाउस) नहीं खोले जायेंगे। बालरेल एवं बैट्री गाड़ी सेवायें बन्द रहेंगी। एक पाली में केवल 500 दर्शकों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों एवं 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा गर्भवती महिलाओं व अस्वस्थ व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

प्राणि उद्यान को तीन पालियों में 2–2 घंटों के लिए खोला जायेगा।

प्रथम पाली–	प्रातः 08:30 बजे – 10:30 बजे तक।
द्वितीय पाली–	पूर्वान्ह् 11:30 बजे – 01:30 बजे तक।
तृतीय पाली–	अपरान्ह् 03:00 बजे – 05:00 बजे तक।

एक पाली समाप्त होने के पश्चात सारे दर्शकों को प्राणि उद्यान परिसर से बाहर जाना होगा। इस बीच प्राणि उद्यान को पुनः सेनेटाइज करने की प्रक्रिया अपनायी जायेगी तत्पश्चात द्वितीय पाली के दर्शकों को प्रवेश दिया जायेगा। यही प्रक्रिया तृतीय पाली में आने वाले दर्शकों हेतु अपनायी जायेगी।

(ह0)
(आर0के0 सिंह)
निदेशक,
नवाब वाजिद अली शाह
प्राणि उद्यान, लखनऊ।